

खबर संक्षेप

अपर मुख्य सचिव 17 मई को संभागीय समीक्षा बैठक लेगे

सतना। अपर मुख्य सचिव वन की अध्यक्षता में आगामी 17 मई को प्रातः 11 बजे से कमिश्नर कार्यालय रीवा के सभाकक्ष में संभागीय बैठक आयोजित की गई है। बैठक में अपर मुख्य सचिव पूर्व में आयोजित समीक्षा बैठकों के कार्यवाही बिन्दुओं के पालन प्रतिवेदन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करेगे। कमिश्नर रीवा संभाग गोपाल चन्द्र डांड ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्यवाही बिन्दुओं से संबंधित प्रगति की जानकारी 16 मई तक प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।

जिले में अब तक समर्थन मूल्य पर हुई 196389 मी.टन गेहूँ की खरीद

सतना। जिले में निर्धारित खरीदी केन्द्रों में एक अप्रैल से सहकारी समितियों द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीद की जा रही है। जिले में 11 मई तक 27250 किसानों से 196389 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद अब तक की गई है। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि उपार्जित गेहूँ का भंडारण कराया जा रहा है। अब तक खरीदे गये गेहूँ में से 170903 मी टन (89 प्रतिशत) गेहूँ का परिवहन किया जा चुका है। अब तक 21065 किसानों के बैंक खाते में 318 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। 140 करोड़ रुपये का भुगतान शेष है। गेहूँ खरीदी के लिए अब तक 32272 किसानों ने स्लॉट बुक किये हैं। वर्ष 2024-25 के लिये 50 हजार 342 किसानों का पंजीयन किया गया है। गेहूँ खरीद की अंतिम तिथि 20 मई है।

राज्य स्तरीय खेलवृत्ति के लिये आवेदन 31 मई तक

सतना। खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा वर्ष 2024 की खेलवृत्ति के लिये प्रतिभावान खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। प्रभारी खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के मध्य आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक विजेता रहे जिले के प्रतिभावान खिलाड़ी खेलवृत्ति के लिये आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई है। प्रभारी अधिकारी ने बताया कि स्वर्ण पदक विजेता को 10 हजार रुपये, रजत पदक विजेता को 8 हजार रुपये एवं कांस्य पदक विजेता को 6 हजार रुपये की राशि खेलवृत्ति के रूप में दी जायेगी। इस संबंध की अधिक जानकारी और दिशा-निर्देश खेल एवं कल्याण कार्यालय जवाहर नगर सतना एवं खेल विभाग की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

आईटीआई में प्रवेश के लिये ऑनलाइन

रजिस्ट्रेशन 20 मई तक सतना। मध्यप्रदेश की समस्त शासकीय तथा अशासकीय आईटीआई में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी इंटरनेट के माध्यम से अपने स्तर अथवा ऑनलाइन सहायता केन्द्रों के माध्यम से विभाग पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आईटीआई में प्रवेश के लिये रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। प्रवेश से संबंधित समस्त जानकारी कौशल विकास संचालनालय पोर्टल पर उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 20 मई है।

समर्पण दिवस का आयोजन कल

सतना। हृदय सम्राट बाबा हरदेव सिंह की पावन स्मृति में 'समर्पण दिवस' का आयोजन सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित के पावन आशीर्वाद से सोमवार, 13 मई को सांय 5 से रात्रि 8.00 बजे तक, संत निरंकारी सत्संग भवन कृष्ण नगर सतना में ज्ञान प्रचारक महात्मा राम लालक शुक्ला, नैनी (प्रयागराज, उ.प्र.) से पधार रहे हैं इन संतो के सान्निध्य में विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। जिसमें समस्त निरंकारी परिवार एवं श्रद्धालुगण सम्मिलित होकर बाबा हरदेव सिंह के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे।

27 पेटी अवैध शराब के साथ तस्करी के आरोप में तीन गिरफ्तार



सतना। एसडीओपी नागौद विदिता डामर (आईपीएस) के मार्गदर्शन में पुलिस ने जसो थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पिकअप वैन में तस्करी के लिये ले जायी जा रही 27 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने शराब के साथ पिकअप वैन, एक मोटरसाइकिल सहित 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि शराब तस्करी में पकड़े गये इन लोगों के तार अन्य राज्य के शराब माफिया जुड़े हुए हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक जसो पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र का एक शराब तस्करी डगगा में सुरदहा तरफ से शराब लेकर आ रहा है एवं स्वयं मोटर सायकल से रैकी कर रहा है जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर

पहुंची। ग्राम चुनहा के पास एक मोटर सायकल व उसके पीछे पीछे एक डगगा दिखाई दिया जिसको घेरा बंदी कर रोका गया। मोटर सायकल चालक ने अपनी मोटर सायकल को खेत में कुदा दिया जिसको स्टाफ की मदद से पकड़ा गया व वाहन को रोका गया जिसमें ड्रायवर के अलावा एक और व्यक्ति था जिनको अभिरक्षा में लेकर डगगा वाहन के पीछे देखा गया तो डगगी में कई कार्टून लोड होना पाया गया एवं मोटर सायकल चालक से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सुनील सिंह उर्फ संत सिंह पिता हरिगोविन्द सिंह परिहार उम्र 40 साल निवासी अमकुई का रहने वाला बताया एवं डगगा चालक का नाम पता पूछने पर अपना नाम हीरामन

कुशवाहा पिता मोतीलाल कुशवाहा उम्र 22 साल निवासी कलावल मोड़ जसो एवं इसके बगल में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम हरिओम दहायत पिता भोला प्रसाद दहायत उम्र 21 साल निवासी लोहादर थाना जसो का होना बताया। 9 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब प्रत्येक कार्टून में 50 पाव प्लास्टिक की शीशी भरी 180 कुल 450 पाव एवं 18 पेटी कार्टून में देशी सफेद शराब प्रत्येक कार्टून में 50 पाव प्लास्टिक की शीशी भरी प्रत्येक शीशी 180 की कुल 900 पाव कुल

1350 पाव (243 लीटर शराब) कीमती 153 000 रुपये एवं मोटर सायकल क्रमांक एमपी 19 एमड ल्यू 3045 हीरो को कीमती 1,00,000 रुपये एवं सुप्रो प्राफिट ट्रक कीमती लगभग 600,000 रुपये कुल कीमती 853,000 का सामान जप्त किया गया। आरोपियों के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी। आरोपियों को गिरफ्तार कर जे.आर पर न्यायालय पेश किया गया। उक्त जप्तशुदा वाहन मोटर सायकल एवं डगगा की राजसात की कार्यवाही की जा रही है। आरोपी संत उर्फ सुनील सिंह थाना जसो का गुण्डा बदमाश है जिसके विरुद्ध थाना में कई अपराध दर्ज हैं सुनील उर्फ संत सिंह को 31 मार्च को 4 पेटी (190पाव) शराब के साथ मोटर सायकल सहित पकड़ा गया था।

अवैध नशीली कफ सिरप की तस्करी के आरोप में दो गिरफ्तार


सतना। रामपुर बाघेलान थाना पुलिस ने प्रतिबंध नशीली कफ सिरप के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से पुलिस ने 22 शीशी कफ सिरप जप्त की है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से अवैध नशीले पदार्थ

आरोपियों के कब्जे से 22 शीशी प्रतिबंधित अवैध नशीली कफ सिरप जब्त

कोरेक्स की तस्करी की सूचना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह एवं उपपुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) वीरेन्द्र बहादुर सिंह के निर्देशन में थाना प्रभारी थाना रामपुर बाघेलान उमेश प्रताप सिंह द्वारा उपनिरी विजय त्रिपाठी के हमराह टीम गठित कर



रेड कार्यवाही की गई। रेड कार्यवाही के दौरान आरोपी रोहित केवट पिता गोकर्ण केवट उम्र 29 वर्ष निवासी बेला और प्रदुम्न रावत पिता पप्पी रावत उम्र 19 वर्ष निवासी बैरपार बेला दोनों थाना रामपुर बाघेलान जिला सतना (म.प्र.) के अधिपत्य से 22 शीशी



प्रतिबंधित अवैध नशीली कफ सिरप कीमती लगभग 3740 रुपए की जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना रामपुर बाघेलान में अपराध क्रमांक 37/02/2024 धारा 8B, 21, 22 NDPS Act, 5/13 MPDC Act का कायम किया गया है

नर्सिंग डे पर टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित



सतना। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा शहर में पहली बार इंटरनेशनल नर्सिंग डे के उपलक्ष्य में टाउन हॉल में शहर की सभी कार्यरत नर्सिंग एवं नर्सिंग स्टूडेंट के लिए चिकित्सा में सुधार हेतु शिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। साथ ही नर्सिंग कैरियर में चिकित्सा एवं नर्सिंग शिक्षा में विशेष योगदान देने वाली सीनियर नर्सिंग को इस विशेष अवसर पर सम्मानित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एल के तिवारी एवं विशिष्ट अतिथि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के



अधिष्ठाता डॉ शशिधर गर्ग, डॉ. राकेश अग्रवाल, डॉ आलोक खन्ना सहित शहर के गणमान्य डॉक्टर व शहर की लगभग 500 से भी ज्यादा नर्सिंग शामिल हुई।

एक माह से लापता व्यापारी को तलाशने एसआईटी गठित

शुक्रवार को विंध्य चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मंडल ने एसपी को सौंपा था ज्ञापन

सतना। एक महीने से लापता व्यापारी को तलाशने के लिए पुलिस अधीक्षक ने एसआईटी का गठन किया है। अभी तक पुलिस व्यापारी को तलाशने के लिए तमाम जगहों पर जाकर पूछताछ कर चुकी है लेकिन कोई सुराग हासिल नहीं हो पाया है। व्यापारी के नहीं मिलने पर परिवार के लोगों की हालत खराब है। इस सिलसिले में शुक्रवार को विंध्य चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के नेतृत्व में कई व्यापारी की संस्थाओं के लोगों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा था और लापता व्यापारी को खोजने का आग्रह किया। गठित की गई एसआईटी में नगर पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह चौहान, सिटी कोतवाली



के नगर निरीक्षक शंखधर द्विवेदी, सहायक उप निरीक्षक दीपेश पटेल, विनोद रेकवार और प्रधान आरक्षक रजनीश शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि लापता कारोबारी प्रकाश लालवानी पिता कन्हैया लाल लालवानी उम्र 44 वर्ष निवासी डाली बाबा पिछले महीने 10 तारीख को चैतीचंद पर्व के दिन से लापता है। प्रकाश लालवानी मोटरसाइकिल से निकला था अभी तक उसकी मोटरसाइकिल भी नहीं मिल सकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस इस सिलसिले में कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। जिसकी वजह से उसके परिजन ज्यादा परेशान हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों ने पिछले दिनों बैठक की और कहा है कि वह इस मामले में क्रमबद्ध आंदोलन भी चलाएंगे।

समर कैम्प के तहत जिले भर में दिया जा रहा विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण

सतना। प्रभारी खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी एसपी तिवारी ने बताया कि जिले में ग्रीष्म अवकाश में समर कैम्प चिन्हित स्थलों पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। समर कैम्प में बड़ी संख्या में बच्चे पहुंचकर विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जिला मुख्यालय में शासकीय उच्च तर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-2 और प्रियंबदा बिड़ला स्कूल में आयोजित हो रहे समर कैम्प में 400 से अधिक एवं विकासखंड मुख्यालयों के समर कैम्प के लिये 800 से अधिक बालक-बालिकाओं ने पंजीयन कराया है। प्रभारी अधिकारी ने बताया कि जिला मुख्यालय में 8 प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शासकीय व्यंकट क्रमांक-2 सतना में वॉलीबॉल, कराते, हैड बॉल, वुशू, कबड्डी तथा प्रियंबदा बिड़ला स्कूल में फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स का

प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी प्रकार नागौद विकासखंड में फुटबॉल, खो-खो, मझगवां विकासखंड में वॉलीबॉल, हैड बॉल, रामपुर बघेलान विकासखंड में एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, मेहर में फुटबॉल वॉलीबॉल, रामनगर और गणपाटन में एथलेटिक्स, फुटबॉल तथा उचेहरा विकासखंड में खो-खो और वॉलीबॉल खेल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सोहावल विकासखंड का समर कैम्प जिला मुख्यालय पर ही आयोजित हो रहा है। प्रभारी अधिकारी ने बताया कि ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण में 8 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं को अनुभव खेल प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। समर कैम्प प्रातः 5.30 से 7:30 बजे तक चिन्हित गतिविधियों के साथ सम्पादित किया जा रहा है। ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का समापन 30 मई को होगा।



क्षमा का पर्व है, लोक अदालत: प्रधान जिला न्यायाधीश



नेशनल लोक अदालत का किया शुभारंभ

सतना। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतना के सभागार में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजय श्रीवास्तव द्वारा मां सरस्वती एवं महात्मा गांधी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रचलित कर किया गया। इस मौके पर विशेष न्यायाधीश प्रशांत निगम, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ बंदी प्रसाद पाठक, न. यायाधीश नौरिन निगम, केशवमणि सिंघल, सुधीर मिश्रा, यतीन्द्र गुरु, सचिव पावस श्रीवास्तव सहित न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अधिवक्तागण उपस्थित थे। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ करते हुए प्रधान जिला न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव ने कहा कि लोक अदालत वस्तुतः क्षमा का पर्व है, जहां



दोनों पक्ष एक दूसरे की गलतियों को क्षमा भाव से नजर अंदाज कर समझौते के साथ अपने प्रकरण का निराकरण करते हैं। उन्होंने कहा कि हर साल राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से हजारों मुकदमों का निस्तारण किया जाता है। ऐसे में जब भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाए उसमें लोगों को बड़-चढ़कर वादों का निस्तारण करना चाहिए। आपसी समझौते और दोनों पक्षों की रजामंदी से प्रकरणों के निराकरण से आपसी वैमनस्यता दूर होती है और भाईचारा तथा समाज में समरसता

का माहौल भी बनता है। लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों की कहीं अपील भी नहीं होती और पक्षकारों का समय तथा धन भी ज्ञान नहीं होता। प्रधान जिला न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव ने कहा कि लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है, इसमें अनेक मामलों के समझौते हो सकते हैं। लोक अदालत, अदालत के बाहर विवादों के सुलहपूर्ण निपटारे के लिए होती है, जो सभी के लिए फायदेमंद है। इससे हमें आर्थिक बचत भी होती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों का पूरा सहयोग रहता है। प्रधान न्यायाधीश ने अधिकारियों-कर्मचारियों को लोक अदालत की शुभकामनाएं दी और कहा कि लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों का निराकरण कर लोक अदालत को सफल बनाये।

खबर संक्षेप

पुलिस, प्रशासन और नया की टीम ने हटाया अतिक्रमण

खतरपुर। जिले के एक नामी बदमाश द्वारा पिछले 8 वर्षों से दो लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा कर अपने लिए एशागाह का निर्माण किया गया था। उक्त बदमाश इसी स्थान से अपने काले कारोबार का संचालन भी कर रहा था। शनिवार को खतरपुर पुलिस, प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने बदमाश के एशागाह को ध्वस्त कराकर अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही की है। खतरपुर एसडीएम अखिल राठौर ने बताया कि खतरपुर निवासी शातिर अपराधी जाकिर उर्फ जफ्फू खान ने नसरबाग में कोट के हनुमान मंदिर के पास स्थित ईश्वरी प्रसाद चौरसिया और युसुफ खान के प्लॉट पर वर्ष 2016 से अवैध कब्जा कर रखा था। फरियादी ईश्वरी प्रसाद चौरसिया और युसुफ खान की शिकायत को संज्ञान में लेकर कलेक्टर संदीप जी और पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने उक्त जमीन से अतिक्रमण हटाकर इसे कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए थे, जिसके पालन में शनिवार को पुलिस, प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जाकिर खान द्वारा निर्मित कराए गए भवन को ध्वस्त कराया गया है। उल्लेखनीय है कि अपराधी जाकिर खान के ऊपर जिले के विभिन्न थानों में दर्जनों गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं और उसकी गिरफ्तारी पर 20 हजार रुपए का इनाम घोषित है। जाकिर उर्फ जफ्फू द्वारा इसी स्थान से अपने काले कारोबार का संचालन किया जा रहा था। दिन-रात आपराधिक तत्वों की चहलकदमी के कारण स्थानीय लोग बेहद परेशान थे, जिन्होंने उक्त कार्यवाही के बाद राहत की सांस ली है।

प्रतिभावान खिलाड़ियों से खेलवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित

पन्ना। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक विजेता जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों से खेलवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी आगामी 31 मई तक जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय, पन्ना से आवेदन प्राप्त कर जमा कर सकते हैं। अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 10 हजार रुपए, रजत पदक विजेता खिलाड़ी को 08 हजार रुपए एवं कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को 06 हजार रुपए की खेलवृत्ति प्रदान की जाएगी। खेलवृत्ति के लिए निर्धारित दिशा निर्देश एवं नियमावली विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

खतरपुर। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत शुक्लाना मोहल्ले की रहने वाली एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की ने दोपहर लगभग एक बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी के अनुसार अदिति उर्फ आरती रैकवार पिता स्व. मैयादीन रैकवार की 13 वर्ष की घर में ही दुपट्टे से लटककर आत्महत्या कर ली। लड़की के परिजनों ने बताया कि जब अदिति ने फांसी लगाई तब मां काम पर गयी थी और घर पर कोई नहीं था। अदिति का किसी से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। अब उसने फांसी क्यों लगाई है इसकी जानकारी नहीं लग सकी। फिलहाल पुलिस ने मौका मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम मामले की जांच शुरू कर दी है।

मनरेगा में जेसीबी का उपयोग पर होगी कड़ी कार्यवाही

दमोहा। बड़ी मात्रा में शिकारतें जिला प्रशासन के समक्ष आती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों के बजाय मशीनों का उपयोग हो रहा है, ये शिकारतें समझ-समझ पर प्राप्त होती हैं, उसकी जांच भी की जाती है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गये हैं कि मनरेगा में किसी भी स्थिति में मशीनों का उपयोग नहीं किया जाये, जो शासन के निर्देश हैं और जो प्रक्रिया है उसी के अनुसार मजदूरों को रोजगार मिलना चाहिये और उसी के माध्यम से कार्य कराए जायेंगे। उन्होंने कहा है मनरेगा में जेसीबी का उपयोग या अन्य मशीनों का उपयोग नहीं किया जायेगा, यदि आमजन को झकझोर उपयोग कहीं पर दिखाते हैं, तो उसके प्रमाण सहित जानकारी भेज सकते हैं।

राजनगर

सहकारी बैंक शाखा राजनगर अंतर्गत धवाड समिति के रोज नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं। बीते माह पहले उपार्जन खरीदी को लेकर जिला उपार्जन समिति ने जिले में 22 केंद्र बनाए गए थे। जिसमें धवाड समिति के लिए राजनगर मंडी परिसर निर्धारित किया था। लेकिन कमीशन के चलते जिले के विपणन विभाग के अधिकारियों ने मौखिक तौर पर फर्जी केंद्र धवाड के लिए बोल दिया था। उसके बाद भी समिति प्रबंधक गणपत पटेल धवाड समिति से लगभग 4 किलोमीटर दूर अकोना में फर्जी 2 दिनों के लिए केंद्र खोला गया। सहकारिता माफिया गणपत पटेल समिति प्रबंधक का उद्देश्य यही था कि कुछ दिनों के लिए सरसों के केंद्र को अकोना गांव में खोल लिया जाए, ताकि पहले से खरीदा हुआ रखा सरसों को आसानी से उपार्जन की सरकारी बोरियों में खपाकर वेयरहाउस तक पहुंचा जा सके, लेकिन अकोना पूर्व सरपंच राम मूर्ति तिवारी के सामने सहकारिता माफिया समिति प्रबंधक गणपत पटेल की चाल नहीं चल पाई और पकड़ा गया। समिति प्रबंधक गणपत पटेल ने पत्नी श्यामबाई सहित पास के केंद्रों में सरसों न डालकर फर्जी पंजीयन कर अकोना के फर्जी केंद्र से 25-25 क्वॉटल सरसों की रसीद काटी गई, तो वही भूमिहीन किसानों के नाम पर भी फर्जी पंजीयन किए गए। बताया गया कि गोविंद सिंह के नाम से कोई जमीन नहीं है, फिर भी समिति में फर्जी पंजीयन कर स्लॉट बुक कर लिया और 25 क्वॉटल सरसों की रसीद काटी गई। इसी प्रकार प्रवीण गुप्ता पिता रामकिशोर गुप्ता गोमाकला निवासी को समिति प्रबंधक द्वारा 3 माह के लिए सर्वेयर के पद पर नियुक्त किया था। उसका भी फर्जी पंजीयन कर रसीद काटी गई। राम प्रकाश पिता राजाराम ब्लॉक लवकुशनगर की 19 क्वॉटल की रसीद काटी गई। जगदीश तिवारी पिता राजाराम तिवारी सटई ब्लॉक पड़रिया फर्जी पंजीयन का रसीद काटी गई। इसके अलावा और भी सैकड़ों किसानों के फर्जी पंजीयन किए गए और इन किसानों के फर्जी पंजीयनों में अपने दलालों के मोबाइल नंबर डालकर रसीद काटी गई। जो कि प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण जांच का विषय है। इतना सब होने के बाद भी आज दिनांक तक प्रशासन द्वारा समिति प्रबंधक गणपत पटेल के ऊपर ना ही मामला पंजीबद्ध किया गया और ना ही सस्पेंड किया गया। इस मामले को लेकर बीते रोज कलेक्टर संदीप

कलेक्टर ने कहा : प्रबंधक को सस्पेंड कर मामला पंजीबद्ध करवाया जाएगा

गणपत पटेल ने पत्नि सहित फर्जी अकोना केंद्र में पंजीयन कर 25 -25 क्वॉटल सरसों डाला



जीआर से दूरभाष पर बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मामला गंभीर है और समिति प्रबंधक को सस्पेंड कर मामला पंजीबद्ध कराया जाएगा।

मास्टर माइंड समिति प्रबंधक गणपत पटेल ने अवैध 500 बोरी सरसों को सरकारी गोदाम में समर्थन मूल्य में खपाने के लिए रखा था, प्रशासन ने गोदाम को किया सील -

राजनगर तहसीलदार धीरज गौतम को अकोना पूर्व सरपंच राममूर्ति तिवारी ने शिकायती आवेदन आज दिनांक 10 मई को सुबह सौंपा था। जिसमें बताया गया था कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान अकोना में लगभग 500 बोरी सरसों सरकारी बोरियों में और सरकारी बारदाने में अवैध तरीके से भर कर रखी हुई है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने समिति प्रबंधक गणपत पटेल, निर्लंबित केंद्र प्रभारी अरुण गुप्ता, भूपेंद्र गुप्ता से दूरभाष पर शासकीय उच्चतर मूल्य की दुकान में रखे सरसों की बोरियों की जानकारी चाही गई

भगवान परशुराम जयंती पर हुये धार्मिक आयोजन, हवन पूजन के

नौगांव। शहर में ब्राम्हण समाज भवन में भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर मनाया गया। अक्षय तृतीया के अवसर पर शुक्रवार को नगर के विभिन्न स्थानों पर भगवान परशुराम जयंती मनाई गई। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री नारायण ने अपने छोटे अवतार में पृथ्वी लोक में परशुराम के रूप में अवतार लिया और उन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अस्त्र शस्त्र उठाकर 21 बार धरती से क्षत्रियों का संहार किया था। ब्राह्मणों के आराध्य भगवान परशुराम की जयंती शुक्रवार को सुबह शहर के धौरा मंदिर से सुबह धार्मिक आयोजन के साथ भगवान की पूजा पाठ के साथ सुन्दरकांड पाठ का आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में परशुराम के भक्त मौजूद रहे। इसी दौरान शाम के बक्त नगर ब्राह्मण समाज भवन में सुन्दरकांड पाठ का आयोजन हुआ और भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाते हुये सुन्दरकांड पाठ के आयोजन के बाद प्रसाद वितरण हुआ। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी, दिनेश अग्निहोत्री, सुशील द्विवेदी, सनातन रावत, के साथ नगर के गणमान्य नागरिकों में गुड्डन पाठक, नया अध्यक्ष अनूप तिवारी, सूरज देव मिश्रा, अजय दौलत तिवारी, मुकुल तिवारी, रमाशंकर मनीषी जी, सुरेश बादल, दीपक दीक्षित, राजेश मिश्रा सहित समाज के युवा एवं वरिष्ठ जन मौजूद रहे।



धूमधाम से मनाया गया भगवान परशुराम जी का प्राकट्य उत्सव, निकली भव्य शोभा यात्रा

बक्सवाहा। अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली भक्तों ने परशुराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पूजन - आरती किया। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री नारायण ने अपने छोटे अवतार में पृथ्वी लोक में ऋषि जगदमिनी के घर में परशुराम के रूप में अवतार लिया था। इस दौरान उन्होंने अन्याय अत्याचार के खिलाफ अस्त्र-शस्त्र उठाकर 21 बार धरती से क्षत्रियों का संहार किया था। ब्राह्मणों के आराध्य भगवान परशुराम जी का प्राकट्य उत्सव धूमधाम से मनाया गया। सर्व प्रथम कुडेरिया मंदिर में भगवान परशुराम जी के चित्र पर फूल माला के साथ धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित कर हवन-पूजन किया जिसके बाद भगवान को शोभा यात्रा निकाली गई जो कुडेरिया मंदिर से बस स्टैंड होते हुए बड़े बाजार राम मंदिर होते हुए चोगना होते हुए पटवन मुहल्ला होते हुए मंदिर पहुंचकर समापन हुआ वहीं इस दौरान श्री रामराजा व्यायाम शाला अखाड़े के जबाजों ने हेरतंगेज करतब दिखाए जिसके बाद प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर बक्सवाहा क्षेत्र के ब्राह्मण सहित भगवान परशुराम जी का अनुसरण करने वाले ग्रामीण शामिल हुए।



एनटीपीसी विंध्याचल द्वारा “बालिका सशक्तीकरण अभियान, 2024” के आयोजन हेतु किया गया बेस लाइन सर्वे



सिमरौली। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी एनटीपीसी विंध्याचल के मानव संसाधन सीएसआर अनुभाग द्वारा “बालिका सशक्तीकरण अभियान, 2024” का आयोजन दिनांक 19 मई से सिमरौली जिले की 21 शासकीय विद्यालयों की 120 बालिकाओं हेतु आयोजित किया जाना है। इसी कड़ी में दिनांक 11.05.2024 को परियोजना के क्षेत्रीय ज्ञानार्जन संस्थान में कार्यालया प्रारंभ होने से पूर्व 120 बालिकाओं में से 55 बालिकाओं के लिए बेस लाइन सर्वे का अयोजन किया गया। इस बेस लाइन सर्वे के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा की जानकारी का आकलन करना है। इस अवसर पर , उप महप्रबंधक (मानव संसाधन) श्री प्रणव वर्मा, उप महाप्रबंधक (सीएसआर) श्री महताब आलम, कार्यपालक (सीएसआर) श्री निखिल जायसवाल, एजेंसी की टीम के साथ-साथ बालिका सशक्तीकरण अभियान में शामिल होने वाली बच्चियां एवं उनके अभिभावकगण उपस्थित रहें।

शिक्षा गुप्ता कार्यपालक (नैगम संचार)

पुलिस ने किया खुलासा, तीनों आरोपी गिरफ्तार

जीजा ने अपने दो सालों के साथ मिलकर दुष्कर्म करने के बाद की थी युवती की हत्या

खतरपुर

बीते दिनों पहले गोयरा थाना क्षेत्र की एक पहाड़ी पर युवती की लाश मिली थी। पुलिस ने 4 दिनों तक विवेचना करने के बाद उक्त हत्याकांड को अंजाम देने वाले एक नाबालिग सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि मुख्य आरोपी ने अपने दो सालों के साथ मिलकर पहले युवती के साथ दुष्कर्म किया और बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। उक्त सनसनीखेज वारदात का शनिवार को पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने जिला मुख्यालय पर पुलिस कंट्रोल रूप में खुलासा किया।

पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बताया कि गत 7 मई को ग्राम गोयरा की पहाड़ी पर एक युवती का शव मिला था। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने घटनास्थल का सुपरविजन किया और एफएएसएल तथा तकनीकी टीम ने बारीकी से भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किये। पुलिस को घटनास्थल पर मृतिका का मोबाइल फोन सहित कुछ अन्य सामग्री मिली थी। मृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, साक्ष्यों और परिजनों के कथनों के आधार पर थाना गोयरा में दुष्कर्म एवं हत्या की विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस महानिरीक्षक खतरपुर रंज ललित शाक्यवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 20 हजार के इनाम घोषित किया और घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना गोयरा, सरवई, लवकुशनगर और थाना-हिनाता के पुलिस बल की सामूहिक टीम का गठन किया गया, जिसने 4 दिनों तक तपस्वी करने के बाद घटना को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

लड़की द्वारा विरोध किए जाने से नाराज होकर की गई थी हत्या -

एसपी जैन ने बताया कि विवेचना के दौरान पुलिस टीम को ग्राम गुधौरा थाना लवकुशनगर निवासी राहुल शुक्ला पिता राजेन्द्र शुक्ला उम्र 26 वर्ष पर संदेह हुआ, जो कि वर्तमान में अपनी ससुराल गोयरा में रह रहा था। संदेह के आधार पर पुलिस ने राहुल शुक्ला को थाने बुलाकर पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को पूरी घटना बताई। मुख्य आरोपी राहुल शुक्ला (जीजा) ने बताया कि घटना दिनांक को वह अपने साले राहुल उर्फ छोटे पिता स्व. अनन्दी शुक्ला उम्र 19 वर्ष निवासी गोयरा और राहुल के 17 वर्षीय मोसरे भाई के साथ पहाड़ी गांव की पहाड़ी पर गया था, जहां उसे मृतिका अकेली दिखाई दी। युवती को देखकर उसकी नियत खराब हो गई और इसके बाद वह अपने सालों के साथ मिलकर युवती को जबरन बकरियों वाले घर में ले गया, जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। चूंकि युवती लगातार उसका विरोध कर रही थी इसलिए गुस्से में आकर राहुल ने उसका सिर दौवाल में मारा और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को पहाड़ियों की एक झाड़ी के पास छोड़कर तीनों आरोपियों ने सबल (लोहे की रॉड) से दीवार में लगे खून के दाग मिटाए और फिर वहां से भाग गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ-साथ दौवाल से खून के निशान मिटाने में प्रयुक्त सबल को भी बरामद किया है। नाबालिग आरोपी को बाल न्यायालय पेश कर बाल सुधार ग्रह एवं मुख्य आरोपी राहुल शुक्ला तथा सह आरोपी छोटे शुक्ला को जेल भेज दिया गया है।

एसपी ने ली मासिक अपराध समीक्षा बैठक गंभीर अपराधों में शीघ्र निराकरण के थाना प्रभारियों को दिए निर्देश

खतरपुर। शनिवार को पुलिस अधीक्षक अगम जैन द्वारा पुलिस लाइन पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में मासिक अपराध समीक्षा की बैठक आयोजित की गई। मीटिंग में जिले के समस्त थानों के अपराध, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, वाहन चेकिंग एवं अन्य कार्यवाहियों की समीक्षा करते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त अनुविभागीय पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारी को लंबित शिकायतों, लंबित गंभीर अपराधों के शीघ्रता से निकाल हेतु निर्देशित किया गया। सड़क दुर्घटनाओं में नियंत्रण हेतु यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही, शहर में निर्धारित समय में प्रतिबंधित वाहनों के आवागमन पर रोक तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण हेतु निर्देशित किया गया। स्कूलों कॉलेज या अन्य सामुदायिक स्थलों में अनावश्यक एकत्र हुए अराजक तत्वों, हवाबाजों, अनियंत्रित गति से वाहन चलाने वालों तथा रात्रि में अनावश्यक घूमने वाले लोगों, संदिग्ध व्यक्तियों पर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। जिले के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला बदर आरोपी जो जिले की भौगोलिक सीमा के अंदर पाए जाते हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी तथा निगरानी, गुंडा बदमाशों की निरंतर निगरानी, क्षेत्र में शांति भंग या माहौल खराब करने वाले लोगों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के साथ-साथ आदतन अपराधियों की जमानत निरस्तीकरण कार्यवाही हेतु भी निर्देशित किया गया। अवैध हथियार एवं मादक पदार्थ संबंधी आरोपियों के साथ-साथ विक्रय करने वाले एवं अन्य स्रोत संबंधी के विरुद्ध भी कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए।



शादी के 16 दिन बाद युवक के साथ भागी युवती, परिजनों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार

खतरपुर। गौरिहार थाना क्षेत्र के ग्राम जरेहटाकला में रहने वाले एक परिवार ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर शादी के 16 दिन बाद उसकी लड़की को भगा ले जाने वाले युवक को पकड़ने और उसकी लड़की को वापस लाने की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार ग्राम जरेहटाकला के रहने वाले रामविशाल अनुरागी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन देकर बताया कि उसकी पुत्री रिकी अनुरागी का विवाह 20 अप्रैल 2024 को डिगौनी निवासी अनुरागी के साथ हुआ था। एक महीने को वह अपनी पुत्री को मायके ले आया था। 6 मई को रात करीब 2 बजे उसकी पुत्री रिकी को गांव का अजू उर्फ सुरेश अनुरागी बहला-फूसलाकर भगा ले गया। उसकी पुत्री को भगाने में अजू के भाई मूलचन्द्र अनुरागी, दोस्त पुष्पेन्द्र अनुरागी, देवनारायण अनुरागी के साथ ज्योराहा निवासी राहुल अनुरागी ने मदद की है। पीड़ित रामविशाल ने बताया कि उसकी पुत्री शादी के जेवर और 15 हजार रुपए भी अपने साथ ले गयी है। 7 मई को गौरिहार थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन पुलिस द्वारा आज दिनांक तक उक्त युवक के परिजनों से कोई पूछताछ नहीं की गई और न ही उनकी लड़की को ढूंढने का प्रयास किया गया। परिजनों ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उसकी पुत्री को खोजने की गुहार लगाई है।



खबर संक्षेप

मऊगंज में पुस्तक मेला 16 मई से

मऊगंज। नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ से क्रय किए जाने वाली पुस्तकों गणवेश कोपी तथा स्टेशनरी सामग्री उचित मूल्य पर सुलभ कराए जाने हेतु पुस्तक मेले का आयोजन 16 मई से 18 मई तक मऊगंज में किया गया है। पुस्तक मेला मऊगंज जनपद के सभागार में आयोजित किया जाएगा। पुस्तक मेले में पुस्तक विक्रेताओं व स्टेशनरी सामग्री विक्रेता अपने स्टॉल लगाकर उचित मूल्य पर सामग्री का विक्रय करेंगे।

जिले में अब तक समर्थन मूल्य पर हुई 68453.63 मी. टन गेहूँ की खरीद

रीवा। जिले में निर्धारित खरीदी केन्द्रों में एक अप्रैल से सहकारी समितियों द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीद की जा रही है। जिले में 11 मई तक 14153 किसानों से 68453.63 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद अब तक की गयी है। इसके लिए किसानों को 16428.87 लाख रुपए की राशि मंजूर की गयी है। इस संबंध में अपर कलेक्टर तथा प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती सपना त्रिपाठी ने बताया कि उपार्जित गेहूँ का भण्डारण कराया जा रहा है। अब तक खरीदे गये गेहूँ में से 54775.82 मी टन किंवदंतल गेहूँ का परिवहन किया जा चुका है। अब तक किसानों के बैंक खाते में 15418.97 लाख रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। गेहूँ खरीदी के लिए अब तक 20121 किसानों ने स्टॉल बुक किये हैं। गेहूँ खरीद की अंतिम तिथि 20 मई है।

अपर मुख्य सचिव 17 मई को संगामीय समीक्षा बैठक लेंगे

रीवा। अपर मुख्य सचिव वन की अध्यक्षता में आगामी 17 मई को प्रातः 11 बजे से कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में संभागीय बैठक आयोजित की गई है। बैठक में अपर मुख्य सचिव पूर्व में आयोजित समीक्षा बैठकों के कार्यवाही बिन्दुओं के पालन प्रतिवेदन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करेंगे। कमिश्नर रीवा संभागा गोपाल चन्द्र डांड ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्यवाही बिन्दुओं से संबंधित प्रगति की जानकारी 16 मई तक प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।

वार्षिक पुनरीक्षण की जानकारी जनसम्पर्क संचालनालय में जमा कराएं

रीवा। जनसम्पर्क संचालनालय की विज्ञापन अनुमोदित सूची में शामिल सभी दैनिक समाचार पत्रों का वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके तहत एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में जनसम्पर्क संचालनालय भोपाल के विज्ञापन प्रभाग में 22 मई तक शासकीय कार्य दिवसों में जमा की जा सकती है।

केन्द्रीय जेल में नेशनल लोक अदालत एवं विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

रीवा। केन्द्रीय जेल रीवा में प्रथम जिला न्यायाधीश श्री सुबोध कुमार जैन, विशेष न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला सत्र न्यायाधीश श्री आशीर्वाद भिलाला, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री रूप सिंह कनेल, डीआर पन्ना नागेश तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय मिश्रा के माध्यम से नामांकित अधिवक्ता द्वारा जेल के आंतरिक भाग का निरीक्षण कर नेशनल लोक अदालत एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में परिरूद्ध बंदियों को विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से समझौता हेतु प्राप्त बंदियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान जेल अधीक्षक सतीश कुमार उपाध्याय, संजीव कुमार गेहले, योगेन्द्र परमार, श्याम सिंह कुशवाह सहित जेल का स्टाफ व बंदी उपस्थित रहे।

मानवता के मसीहा निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी की याद में समर्पण दिवस का आयोजन कल

रीवा। हृदय सम्राट बाबा हरदेव सिंह जी की पावन स्मृति में 'समर्पण दिवस' का आयोजन सोमवार, 13 मई को सांय 5 से 7 बजे तक, संत निरंकारी सत्संग भवन, चोरहटा में रीवा ब्रांच के संयोजक परम आदरणीय बहन राजकुमारी ककवानी जी के साग्निध्य में किया जाएगा जिसमें समस्त निरंकारी परिवार एवं श्रद्धालुगण सम्मिलित होकर बाबा हरदेव सिंह जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बाबा हरदेव सिंह जी प्रेम एवं करुणा की सजीव मूर्त थे।



उन्होंने अपनी सादगी और दिव्य मुस्कुराहट से न केवल भक्तों को निहाल किया अपितु समस्त मानव जाति को कल्याण का मार्ग अपनाकर एक सार्थक एवं संतुष्ट जीवन जीने की कला सिखाई। यही कारण रहा कि वह प्रत्येक वर्ग के लोगों के सदैव प्रिय बने रहे। बाबा जी ने एक पथप्रदर्शक बनकर हर भक्त का हाथ थामा ताकि वह एक सहज एवं सशक्त जीवन जी

पाए। आध्यात्मिक जागरूकता के अतिरिक्त समाज कल्याण की गतिविधियों में बाबा जी ने अपना सकारात्मक योगदान दिया जिसमें रक्तदान, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य जांच शिविर, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, इत्यादि जैसी परियोजनाएं अहम हैं। बाबा हरदेव सिंह जी ने सतगुरु रूप में 36 वर्षों तक निरंकारी मिशन की बागडोर सम्भाली। उनके अथक प्रयासों का ही सकारात्मक परिणाम है कि मिशन विश्व के प्रत्येक महाद्वीप में 60 राष्ट्रों तक पहुंच चुका है जिसमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संत समागम, युवा सम्मेलन एवं समाज की कल्याणकारी सेवाओं का आयोजन निरंतर हो रहा है। उनके अमूल्य योगदान के फलस्वरूप मिशन को विश्व स्तर पर ख्याति के साथ-साथ अनेक पुरस्कारों द्वारा भी सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा

निरंकारी मिशन को सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के सलाहकार रूप में मान्यता भी प्राप्त हुई। संसार में अमन, शांति कायम करने के लिए युगदृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी ने "एकत्व में सद्भाव," "वसुधैव कुटुम्बक," और "एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ" इत्यादि जैसे अनेक दिव्य संदेश दिये जिसमें निःसंदेह लोक कल्याण की भावना निहित है। इसके अतिरिक्त आपने परस्पर प्रेम और मिलवर्तन के भावों को सुदृढ़ करने के लिए "दीवार रहित संसार" की सुंदर कल्पना को भी साकार रूप प्रदान किया। वर्तमान में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, युगदृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी के इसी सत्य संदेश को जनमानस तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं; जिनसे निरंकारी मिशन का प्रत्येक भक्त प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को सार्थक बना रहा है।

सुंदरजा को मिला जी आई टैग तो बढ़ गए आम के दाम



अन्य वर्षों की अपेक्षा दो गुने दाम हुआ टैटर

रीवा। जिले के गोविंदगढ़ का सुंदरजा आम देश विदेश तक अपनी महक पहुंचा रहा है। बैज्ञानिकों कि मेहनत के बाद अब सुंदरजा आम जीआई टैग प्राप्त आम बन गया है। सुंदरजा आम के जीआई टैग मिलने से न सिर्फ सुंदरजा आम को एक अलग पहचानमिली है। बल्कि इसका लाभ अब अन्य आमों को भी मिल रहा है। कुठूलिया अनुसंधान केंद्र

की 60 एकड़ जमीन में लगी 237 प्रजातियों के आमों का टैटर जो इस वर्ष हुआ है। वो पिछले वर्ष की अपेक्षा दो गुने से भी ज्यादा है। इस वर्ष पूरे बगीचे का टैटर 18 लाख 71 हजार में हुआ है। जबकि पिछली बार यही टैटर 7 लाख 11 हजार का था। रीवा के इस अनुसंधान केंद्र में देसी प्रजातियों सहित विश्वख्याति प्राप्त गोविंदगढ़ का जीआई टैग आम सुंदरजा व अमेरिका प्रजापति के आम मल्लिका और आप्रपाली जैसे सैकड़ों आम खाने को मिल जायेगा। रीवा के फल एवं अनुसंधान केंद्र

कुठूलिया में वैज्ञानिकों द्वारा आमों की विभिन्न प्रजातियों की खेती कर उनमें शोध कार्य किया जा रहा है। रीवा के सुन्दरजा आम को जी आई टैग दिलाने में यहां के वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत कर जो शोध तैयार किया उसके आधार पर ही सुंदरजा को देश विदेश में एक अलग पहचान मिली अनुसंधान केंद्र में करीब 60 एकड़ जमीन पर आमों की विभिन्न प्रजातियां उपलब्ध है जिनमें शोध किया जाता है और अच्छे किस्म के आमों की खेती के लिए किसानों को उपलब्ध कराया जाता है।

कुपोषण से शिकार बच्चे को लेकर भटक रहे हैं परिजन ईलाज ना करने अस्पताल के चिकित्सकों पर आरोप बच्चों का इलाज तो दूर छूने को तैयार नहीं चिकित्सक

रीवा। विद्य क्षेत्र की प्रख्यात संजय गांधी अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है। गणला बीमार एक बच्चे का ईलाज न करने का है मिली जानकारी के मुताबिक मासुमा ईलाज के अभाव में तड़प रहा है जिले के नई बस्ती रतहरा निवासी मुन्ना बंसल पत्नी कौशल्या बंसल ने बच्चे का अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों व स्टाफ पर इलाज न करने का गंभीर आरोप लगाया है बच्चों की मां कौशल्या बंसल का कहना है कि अस्पताल में दस दिनों से बच्चे को मर्ती करा रखा है लेकिन कोई ईलाज नहीं किया जा रहा है।



भर्ती करा रखा है लेकिन चिकित्सकों ने बच्चे को टीबी का रोगी बता कर अलग कमरे में रख दिया और उसका ईलाज नहीं कर रहे। बच्चों की हालत सही नहीं है जिसके कारण उसको अस्पताल में लेकर आए हैं लेकिन डॉक्टरों द्वारा यह कहा जाता है कि बच्चों को अस्पताल लेकर बार बार ना आओ घर पर रहो। बच्चे का मां टीबी रोग का शिकार है जिसके चलते बच्चे को भी रोगी बताया जा रहा है। छुआछूत मानते हुए कोई भी उसका ईलाज करने को तैयार नहीं हो रहा।

इन्का कहना है

यह सब भ्रामक बातें हैं। बच्चों की मां को टीबी की समस्या है जिसके कारण बच्चों का अलग इलाज चल रहा है। डॉ बजाज द्वारा बच्चों को समय-समय पर अस्पताल में बुलाकर एडमिट कर ईलाज किया जा रहा है।

डॉ राहुल मिश्रा अधीक्षक संजय गांधी अस्पताल रीवा

श्री मानस पीठ खजुरीताल धाम में 7 दिवस लगा रहा श्रद्धालुओं का मेला

मत्पत्या से संपन्न हुआ श्रीमानसपीठ पाटोत्सव

रीवा। हिन्दू राष्ट्र में धार्मिक अनुष्ठानों का एक अलग ही महत्व है जिसके चलते भारत भूमि में लगातार धार्मिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसी क्रम में श्रीमानसपीठ खजुरीताल में 4 मई से प्रारंभ हुए बृहद धार्मिक अनुष्ठान पाटोत्सव कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक दिन प्रातः कालीन, शायं कालीन एवं रात्रिकालीन प्रहर में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिस दौरान श्रीमानसपीठ खजुरीताल धाम में सप्ताहभर श्रद्धालुओं का मेला लगा रहा, जो पुरातन काल से आस्था का केंद्र बना हुआ है। पाटोत्सव कार्यक्रम को भव्यता के साथ सफल बनाने के लिए कार्यक्रम के आयोजक श्रीमानसपीठ खजुरीताल पीठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीरामललाचार्य जी महाराज ने कथाव्यास ब्रह्मर्षि डॉ. रामविलास दास बेदांती जी महाराज का वंदन करते हुए प्रतीक चिह्न भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया एवं कार्यक्रम में उपस्थित साधुओं, संतों, महंतों व आचार्यों को सम्मानित कर सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित



किया। श्रीमानसपीठ खजुरीताल धाम के शिष्य पाटोत्सव कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी पंडित सचिन शर्मा सूर्या के नेतृत्व में युवा एकता परिषद के युवाओं ने पाटोत्सव कार्यक्रम के आयोजक श्रीमानसपीठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीरामललाचार्य जी महाराज का गजमाला से अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रीमानसपीठ पाटोत्सव के अंतिम दिवस प्रभात बेला में प्रातः 9 बजे 21 बुद्धों

व्रतबंध, हनुमतगाथा व मण्डारे के साथ हुआ समापन

आपके कृपा से उसका निस्तार नहीं हो सकता। जीवात्मा में हर्ष होता है, जीवात्मा में ज्ञान होता है, जीवात्मा में अज्ञान होता है साथ ही अंत में श्री मानसपीठ खजुरीताल में आयोजित सात दिवसीय श्रीमानसपीठ पाटोत्सव कार्यक्रम के बेहतरीन मीडिया कवरेज व कुशल प्रकाशन हेतु श्रीमानसपीठ परिवार के द्वारा कार्यक्रम में सहयोग देने वाले मीडिया टीम एवं सम्मानित पत्रकार बंधुओं को श्री रामलला का छायाचित्र व श्रीफल देकर श्री मानसपीठ खजुरीताल धाम में सम्मानित किया गया।



बोलौउआ अभियान के माध्यम से घर घर किया जा जागरूक



कार्य किया जा रहा है। गाँव में बच्चों के अभिभावकों से मिलकर कम उम्र में अपने बेटे बेटियों को शादी न करने की समझाइश देकर उनसे बाल विवाह न कराने का संकल्प पत्र भराया जा रहा है। जिसका ग्रामीण छेत्रों में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। विदिशा शोशल वेलफेयर रीवा की टीम के द्वारा अलग अलग प्रकार की जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से बाल विवाह रोकथाम की पहल की जा रही है। पंचायतों के साथ ही चर्चयित ग्रामों के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, विवाह घरों, धार्मिक स्थलों में पोस्टर पंपलेट्स वितरण कर बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं से बच्चों के जीवन को बचाने का कार्य किया जा रहा है।

अंबेडकर बस्ती में अक्षय तृतीया पर आयोजित हुई विशेष गतिविधियां

रीवा। विदिशा शोशल वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन रीवा द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत बनाने हेतु ग्रामीण छेत्रों में आम जनता के बीच बोलौआ अभियान चलाकर जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत के पंच सरपंच आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सहयोग लेकर बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत तथा बाल हितैषी ग्राम पंचायत बनाने हेतु

किताबें और ड्रेस खरीदने में दुकानदारों की नहीं चलेगी मनमानी

निजी विद्यालयों एवं पुस्तक विक्रेताओं के लिए पारदर्शिता हेतु धारा 144 के तहत आदेश जारी

मऊगंज। जिले के शासकीय और निजी स्कूल में बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। जिले की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधन द्वारा शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों द्वारा खरीदी जाने वाली किताबें और ड्रेस खरीदने के संबंध में गंभीर शिकायतें मिली हैं। इन पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजय श्रीवास्तव ने ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के तहत एक पक्षीय रूप से जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति शिक्षण संस्था के प्राचार्य तथा प्रबंधक के विरुद्ध धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश के अनुसार विद्यार्थियों के अभिभावकों को स्कूल अथवा अन्य शिक्षण संस्थान पुस्तकें ड्रेस अथवा अन्य सामग्री खरीदने के लिए किसी विशेष दुकान से बाध्य नहीं कर सकेंगे। जिले के सभी अशासकीय स्कूल जो मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल (सीबीईसी) अथवा आईसीईसी से संबद्ध हैं उनमें यह आदेश पूरी तरह से लागू होगा। निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल के प्रवेश प्रारंभ की

तिथि प्रक्रिया स्कूल में उपयोग की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों स्टेशनरी पठन-पाठन सामग्री स्कूल बैग ड्रेस स्पोर्ट्स किट की राशि स्कूल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना आवश्यक होगा। इसे स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करें। जारी आदेश के अनुसार निजी स्कूल उसमें प्रवेश करने के संबंध में पूरी जानकारी स्कूल के सूचना पटल और वेबसाइट में उपलब्ध कराएं। इसके लिए यदि अभिभावकों से किसी भी तरह की राशि ली जाती है तो उसका जाते उल्लेख करें। सभी निजी स्कूल केवल उन्ही पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण करें जो उसकी सूचना पटल वाले बोर्ड से स्वीकृत हों। निजी स्कूल प्रबंधन विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों को केवल चुने हुए दुकानदार से पुस्तकें ड्रेस टाई जूते स्टेशनरी आदि खरीदने

के लिए बाध्य नहीं करेंगे। इन सामग्रियों को खुले बाजार से खरीदने के लिए विद्यार्थी स्वतंत्र होंगे। स्कूल संचालक विद्यार्थी की ड्रेस को छोड़कर किसी भी पाठ्य सामग्री पर

स्कूल का नाम उल्लेखित नहीं करेंगे। कोई भी विक्रेता किसी भी कक्षा के पूरे सेंट को क्रय करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। यदि किसी विद्यार्थी के पास पुरानी किताबें उपलब्ध हैं तो उसे केवल उसकी आवश्यकता की पुस्तकें ही विक्रेता के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही नोटबुक कॉपी पुस्तकों व उन पर चढ़ाए जाने वाले कवर पर विद्यालय का नाम मुद्रित नहीं किया जाएगा। कोई भी विद्यालय अधिकतम दो से अधिक यूनियफॉर्म निर्धारित नहीं कर सकेंगे। ब्लेजर/स्वेटर इसके अतिरिक्त होगा। विद्यालय प्रशासन द्वारा यूनियफॉर्म का निर्धारण इस प्रकार किया जा सकेगा कि कम से कम तीन वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं

होगा। विद्यालय प्रशासन द्वारा वार्षिकोत्सव एवं अन्य किसी आयोजन का किसी भी प्रकार की वेशभूषा को विद्यार्थियों/पालकों को क्रय करने हेतु बाध्य नहीं किए जाएंगे। जारी आदेश के अनुसार सभी निजी स्कूल संचालक आगामी शिक्षण सत्र शुरू होने से पहले अनिवार्य रूप से कक्षावार पुस्तकों और उनके लेखक एवं प्रकाशक के नाम तथा मूल्य सूचना पटल पर प्रदर्शित करें। विद्यार्थियों अथवा अभिभावकों द्वारा मांगे जाने पर सूची उन्हें उपलब्ध कराएं। जारी आदेश के अनुसार सभी निजी स्कूल प्रबंधक सूचना पटल पर स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख करें कि पुस्तकें ड्रेस तथा अन्य सामग्री किसी विशेष दुकान से खरीदने की बाध्यता नहीं है। पुस्तकों के अतिरिक्त स्कूलों द्वारा यूनियफॉर्म जूते कांपियाँ आदि की बिक्री का प्रयास नहीं किया जाएगा। स्कूल की स्टेशनरी ड्रेस तथा अन्य पठन-पाठन सामग्री में स्कूल का नाम प्रिंट करवाकर दुकानों से क्रय करके अथवा किसी एक विशिष्ट दुकान से बिक्री कराना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने सभी एसडीएम तथा जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश का कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।



कलेक्टर मऊगंज द्वारा आदेश जारी